

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़(राज)

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित पात्र एवं अभिप्रस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन पश्चात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(200-B)/सी0म0/बेसिक कम्प्यूटर अनु/2022 दिनांक 16.12.2023 एवं 18.06.2024 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में संलग्न सूची अनुसार आशार्थियों को बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल-08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500रु प्रतिमाह अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रु (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :-प 8(1) कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, **इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा।** पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाया जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। किसी अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन सही नहीं पाया जाने पर बिना कार्यग्रहण करवाये प्रकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी0ओ0पी0/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 /- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तत्संबंधी आशय का 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
4. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/ क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने से संबंधित वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिया जाने का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
7. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।' यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति आदेश चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
 11. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं, अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
 12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें।
 13. परीक्षाधीन अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियाँ नियमानुसार की जावेगी।
 14. इन कार्मिकों को परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ते, महंगाई वेतन, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
 15. आशार्थी के परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 16. परीक्षाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफडी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
 17. पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करते समय निम्न अभिलेख सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 - सक्षम चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की सत्यापित प्रतियाँ
 - पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र
 - आवेदक द्वारा धूमपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व घोषणा पत्र।
- इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये **पदस्थापित स्थान पर दिनांक 05.07.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा**, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।
- उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 में प्रदत्त निर्देशों तथा नियुक्ति SBCW 19971/2023 नेहा भडाना बनाम सरकार में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।**


 (वसुमित्र सोनी)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

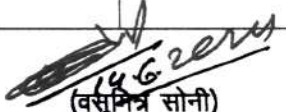
- क्रमांक-जिशाअ/माध्यमु/प्रताप/संस्था/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/नियुक्ति/2024/830-43 दिनांक 14.06.2024
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर ।
 2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
 3. श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
 4. श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
 5. श्रीमान सचिव कर्मचारी चयन आयोग जयपुर।
 6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
 7. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, ।
 8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ।
 9. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
 10. श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
 11. संबंधित पीईईओ ।
 12. संबंधित संस्था प्रधान ।
 13. संबंधित आशार्थी ।
 14. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
 15. रक्षित पत्रावली


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) प्रतापगढ़

क्रमांक-जिशिअ/माध्यमु/प्रताप/संस्था/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/नियुक्ति/2024/830-63 दिनांक 14.06.2024

क्र. सं.	मेरिट नं	रोल नं	फोटो	नाम आशार्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	लिंग	स्थायी पता	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4074	308383		LEELADHAR SUTHAR	NIRJAN SUTHAR	20-Dec-91	OBC	GEN	MALE	CHUPANA THE ARNOD DISTT PRATAPGARH	Govt.Sr.Sec.School Salangarh(217808)
2	6573	320569		ANSHUL SHARMA	TRIMOHAN SHARMA	31-Jan-01	GEN EWS	GEN	MALE	DHAMOTAR DISTT PRATAPGARH	Govt.Sr.Sec.School Ghantali(224739)


 (वसुमित्र सोनी)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़